भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.3681

जिसका उत्तर 18.03.2021 को दिया जाना है

धनराशि जारी करना

3681. श्री उपेन्द्र सिंह रावत:

श्री भोलानाथ 'बी.पी.सरोज':

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों का बड़ा अनुबंध निविदा द्वारा प्राप्त किया है और जाम-जाम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सहित कई छोटी कंपनियों को कार्य सौंपा गया है तथा सरकार से पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बाद भी एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इन छोटी कंपनियों को भुगतान नहीं कया जा रहा है जिसके कारण इन छोटी कंपनियों के अधिकारियों/श्रमिकों के लिए कठिनाई पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा एन के सी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी कंपनियों को जारी की गई निधि, इच्छित पात्र उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सके?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) यह विवाद एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इसके ठेकेदार/छोटी कंपनियों के बीच बकाया राशि के निपटान न होने के कारण हुआ है। एम/एस एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैनात की गई ऐसी छोटी कंपनियों को धनराशि जारी करने में एनएचएआई की कोई भूमिका नहीं है। जम-जम निर्माण कंपनी को कानून के प्रावधानों के अनुसार लंबित दावों की शिकायत / निपटान के लिए उपयुक्त फोरम के पास जा सकते हैं।

*****